



2026:AHC:39575

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 2628/2026

नीरज कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ब्यास कुमार प्रसाद, प्रदीप कुमार केशरी, रामानंद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य अधिशासी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सर्वप्रथम, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान याचिका को वापस लेने की इच्छा रखते हैं, जिसमें प्रतिवादी संख्या-3, अपर उप पुलिस आयुक्त (यातायात), आयुक्तालय - वाराणसी द्वारा जारी विवादित अदिनांकित आरोप पत्र (चार्जशीट) को रद्द करने के लिए मामले के अभिलेखों को तलब करते हुए उत्प्रेषण प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करने की चुनौती उठाई गई है, जिसमें नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता (अनुज्ञा) भी मांगी गई है, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका का उचित रूप से गठन नहीं किया गया है।

2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता (अनुज्ञा) के साथ वापस लिए जाने के रूप में खारिज की जाती है।

23 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”